

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
१	२	३	४
१	मीना बिष्ट	रा०प्रा०वि० बांसी, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० बडेथ, द्वारीखाल
२	सुनीता बहुगुणा	रा०प्रा०वि० खच्चरवाड़ी, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० द्वारी, रिखणीखाल
३	स्वर्णलता चौहान	रा०प्रा०वि० वासिंजाना, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० सिमल्याडांडा, द्वारीखाल
४	संगीता गुसाईं	रा०प्रा०वि० गूमखाल, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० दशमेरी, द्वारीखाल
५	ममता रावत	रा०प्रा०वि० थपलियालगांव, पौड़ी	रा०प्रा०वि० बंगार, बीरौखाल
६	लक्ष्मी चौहान	रा०प्रा०वि० उर्तिच्छा, दुगड्डा	रा०प्रा०वि० सुकई, बीरौखाल
७	अजय सिंह रावत	रा०प्रा०वि० उज्याड़ी, पौड़ी	रा०प्रा०वि० नवाखाल, खिर्सू
८	ज्योत्सना रावत	रा०प्रा०वि० मटियाली, दुगड्डा	रा०प्रा०वि० बिरगण, बीरौखाल
९	शबनम खातून	रा०प्रा०वि० सुखरौं, दुगड्डा	रा०प्रा०वि० ग्वारी, बीरौखाल
१०	रामपाल सिंह	रा०प्रा०वि० मरोड़ा-२, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० सुतारगांव, कल्जीखाल
११	रीना जोशी	रा०प्रा०वि० ढौर बरसूड़ी, पाबौ	रा०प्रा०वि० कटूड, खिर्सू
१२	माधुरी रावत	रा०प्रा०वि० बूंगा-२, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० देवल, कल्जीखाल
१३	मदनलाल चौधरी	रा०प्रा०वि० जखमलखोल, दुगड्डा	रा०प्रा०वि० कण्डूली छोटी, बीरौखाल
१४	अरुण कुमार नेगी	रा०प्रा०वि० मौंदाडी, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० ढौर, द्वारीखाल
१५	सम्पूर्णानन्द जुयाल	रा०प्रा०वि० ल्वाली, पौड़ी	रा०प्रा०वि० बुदेशू, खिर्सू
१६	सुधा जैन	रा०प्रा०वि० ढिकवाली, पाबौ	रा०प्रा०वि० श्रीकोट, पाबौ
१७	अंजू रावत	रा०प्रा०वि० नैलगुजराड़ा, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० पनास, बीरौखाल
१८	अनिल कुमार बिष्ट	रा०प्रा०वि० बौंसालधार, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० सुराड़ी, द्वारीखाल
१९	शैलेन्द्र रौथाण	रा०प्रा०वि० ल्वाली, पौड़ी	रा०प्रा०वि० ख्वीड़, कल्जीखाल
२०	अनीता जोशी	रा०प्रा०वि० सीकू, पाबौ	रा०प्रा०वि० ताछला, यमकेश्वर
२१	अनिसुरहमान	रा०प्रा०वि० फल्दा, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० घोडियाना, बीरौखाल
२२	कुमारी मंजू	रा०प्रा०वि० अदालीखाल, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० डांडाग्वीन, बीरौखाल
२३	बलवन्त सिंह नेगी	रा०प्रा०वि० डाबरी वल्ली, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० बगरखाल, रिखणीखाल
२४	दीपक सिंह पंवार	रा०प्रा०वि० उरेगी, पौड़ी	रा०प्रा०वि० चौरखाल, पाबौ
२५	अनिल नयाल	रा०प्रा०वि० सिन्डी, पौड़ी	रा०प्रा०वि० जामणाखाल, खिर्सू
२६	शोभा थपलियाल	रा०प्रा०वि० मटियालना, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० भलगांव, द्वारीखाल
२७	कलावती वडथ्याल	रा०प्रा०वि० क्याद, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० खलपाड़ी, दुगड्डा
२८	मीनाक्षी बिष्ट	रा०प्रा०वि० लंगूरी, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० ढिकोलिया, रिखणीखाल
२९	हिमानी नैथानी	रा०प्रा०वि० रिंगवाडी, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० जुगरसैण, दुगड्डा
३०	शशि डबराल	रा०प्रा०वि० पोखरी, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० पिलखेड़ी, यमकेश्वर
३१	हिमानी नेगी	रा०प्रा०वि० डुंगरी, पौड़ी	रा०प्रा०वि० सिसई, बीरौखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।


  
(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2583-95 /स्थाना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/

114

/स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक ०९ जून २०२३

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-१३(४) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय/विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
१	२	३	४	५
१	नरेन्द्र सिंह गुसाईं	रा०प्रा०वि० कलखोबिया, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० सिगडडी, दुगडडा	I
२	संगीत रावत	रा०प्रा०वि० सरा, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० कुनाऊ, यमकेश्वर	I
३	विश्वबन्धु भण्डारी	रा०प्रा०वि० बच्छेली, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० भदालीखाल, दुगडडा	I
४	प्रकाशचन्द्र कपरवाण	रा०प्रा०वि० चौंरा, थलीसैण	रा०प्रा०वि० दिखोल्थू, खिसू	I
५	राकेश कुमार	रा०प्रा०वि० ओडगांव, पोखड़ा	रा०प्रा०वि० घट्टूगाड, यमकेश्वर	I
६	शिव कुमार	रा०प्रा०वि० माल्ड, पोखड़ा	रा०प्रा०वि० दिउली, यमकेश्वर	I
७	सुधीर लिंगवाल	रा०प्रा०वि० कफलेख, थलीसैण	रा०प्रा०वि० बाडा, पौड़ी	I
८	आशीष कुमार	रा०प्रा०वि० कण्डूली बडी, बीरौखाल	रा०प्रा०वि० लक्ष्मणझूला, यमकेश्वर	I
९	बीना नयाल	रा०प्रा०वि० भटकोट, कोट	रा०प्रा०वि० देवार, कोट	I
१०	अनुसूया रौथाण	रा०प्रा०वि० रानीहाट, बीरौखाल	रा०प्रा०वि० फरासू, खिसू	I
११	सुभाषचन्द्र	रा०प्रा०वि० उत्तमखेत, पोखड़ा	रा०प्रा०वि० झवाणा, दुगडडा	I
१२	अनूप ध्यानी	रा०प्रा०वि० सकनोलीखाल, पोखड़ा	रा०प्रा०वि० सिम्मलचौड, दुगडडा	I
१३	सीमा नौटियाल	रा०प्रा०वि० गंगाउ, थलीसैण	रा०प्रा०वि० भैंसकोट, खिसू	I
१४	रश्मि वर्मा	रा०प्रा०वि० कोट, कोट	रा०प्रा०वि० काण्डई, यमकेश्वर	I
१५	अमिना खातून	रा०प्रा०वि० अमोला, दुगडडा	रा०प्रा०वि० लालपुर, दुगडडा	I
१६	पिंकी रावत	रा०प्रा०वि० द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० शिबूनगर, दुगडडा	I
१७	परवीन जहां	रा०प्रा०वि० गडसारी, थलीसैण	रा०प्रा०वि० धमण्डपुर, दुगडडा	I
१८	कुमारी नीलम	रा०प्रा०वि० ढिकवाली, पाबौ	रा०प्रा०वि० शिवराजपुर, दुगडडा	I
१९	कुसुमलता पोखरियाल	रा०प्रा०वि० सिसोली, पौड़ी	रा०प्रा०वि० गंगाभोगपुर, यमकेश्वर	I
२०	धनन्जय कुकरेती	रा०प्रा०वि० भृगुखाल, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० मगनपुर-२, दुगडडा	I

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

१. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
४. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ २५९६-०८ /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१- महाविद्यालय/विद्यालयी शिक्षा, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

- 2 -
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
  - 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
  - 4- जिलाधिकारी गढवाल।
  - 5- उपजिलाधिकारी पौडी।
  - 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौडी।
  - 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।
  - 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पौडी।
  - 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
  - 10- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौडी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
  - 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
  - 12- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
  - 13- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौडी गढवाल।

**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।**  
 आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 115 /स्थाना०/2023-24 दिनांक 09 जून 2023  
**अनुरोध स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(5) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**स०अ० रा०प्रा०वि०**

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय/विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	धमेन्द्र सिंह	रा०प्रा०वि० खाल्यूंखेत, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० आमडी, यमकेश्वर	II
2	विश्वमोहन गोदियाल	रा०प्रा०वि० खण्डकिल, खिरसू	रा०प्रा०वि० बिल्केदार, कोट	II

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
 पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2609-22 /स्थाना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
 पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/04वे0स्थाप0/ 116 /स्थाना0/2023-24 दिनांक 09 जून 2023  
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(3) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय/विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	विगल कुमार	रा0प्रा0वि0 मीन छोटा, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 जमरगडडी, दुगडडा	IV
2	कमल कुमार	रा0प्रा0वि0 टीला, थलीरौण	रा0प्रा0वि0 केगुन्दर, पौड़ी	IV
3	कृष्णा नेगी	रा0प्रा0वि0 खडेती, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 प्रारम्भिक, दुगडडा	IV
4	मीनाक्षी	रा0प्रा0वि0 मुण्डखाल, नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 भलगांव, द्वारीखाल	IV
5	मृदुला	रा0प्रा0वि0 जुयालगांव, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 मवाकोट, दुगडडा	IV
6	सुनीलकन्द	रा0प्रा0वि0 काण्डाखाल, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 झण्डीचौड़, उ0, दुगडडा	IV
7	राजय कुमार गुर्गई	रा0प्रा0वि0 चौफण्डाखाल, पावो	रा0प्रा0वि0 निसर्णी, पौड़ी	IV
8	विनोदपाल सिंह	रा0प्रा0वि0 बल्ली, दुगडडा	रा0प्रा0वि0 झण्डीचौड़, उ0, दुगडडा	IV
9	चन्द्रमोहन सिंह रावत	रा0प्रा0वि0 चौण्डी, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 बरस्वार, जयहरीखाल	IV

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 वे0स्थाप0/ 2623-35 /स्थाना0/2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

- 1. समकालीन भारत में शिक्षा की अवस्था
- 2. शिक्षा की अवस्था की समस्याएँ
- 3. शिक्षा की अवस्था की समस्याएँ
- 4. शिक्षा की अवस्था की समस्याएँ
- 5. शिक्षा की अवस्था की समस्याएँ

शिक्षा विभाग-समाजशास्त्र विभाग  
 श्री श्री महाशय

कार्यालय:— जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/

117

/स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक ०९ जून २०२३

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-१३ (६) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय/विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
१	२	३	४	५
१	सीमा रावत	रा०प्रा०वि० तालबादनी, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० तल्ला बनास, यमकेश्वर	V
२	माधुरी नेगी	रा०प्रा०वि० बांसी, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० नाली, दुगड़डा	V

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

१. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
४. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2636-48 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- ३- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- ४- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- ५- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- ६- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- ७- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- ८- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- ९- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- १०- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- ११- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- १२- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- १३- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

पौड़ी गढ़वाल।



**अनुरोध स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(2) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।


स0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय/विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	अनुराग ध्यानी	रा0प्रा0वि0 सुनारगांव, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 पलेलगांव, यमकेश्वर	VI
2	सरिता नेगी	रा0प्रा0वि0 भरौलीखाल, बीरौंखाल	रा0प्रा0वि0 डाबर, द्वारीखाल	VI
3	जगदीशचन्द्र	रा0प्रा0वि0 भवांसा, बीरौंखाल	रा0प्रा0वि0 नैणी, द्वारीखाल	VI
4	नागेन्द्र सिंह रावत	रा0प्रा0वि0 पाटो, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 मुसेटी, थलीसैंण	VI
5	ज्योति गोड	रा0प्रा0वि0 झुंडंगू, नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 बुढाकोट, नैनीडांडा	VI
6	सुनील कुमार	रा0प्रा0वि0 नौगांव, खिरसू	रा0प्रा0वि0 तैडी, कोट	VI
7	धनवीर सिंह	रा0प्रा0वि0 तालबसेडी, नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 लूठिया, नैनीडांडा	VI
8	जसवन्त सिंह बिष्ट	रा0प्रा0वि0 चौण्डा, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 लसेरा, कोट	VI
9	प्रवीन कुमार	रा0प्रा0वि0 सौंठ, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 दलमोटा, कल्जीखाल	VI
10	अनिल कुकरेती	रा0प्रा0वि0 गढमोनु, पाबो	रा0प्रा0वि0 उडाल्ट, पाबो	VI
11	प्रमोद कुमार नौडियाल	रा0प्रा0वि0 पोखरी, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 तिमली, पाबो	VI
12	दीपचन्द्र	रा0प्रा0वि0 ग्वाल्थी, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 मासौं, एकेश्वर	VI
13	महेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 चोपताखाल, बीरौंखाल	रा0प्रा0वि0 रीशी, पाबो	VI
14	सुभाष कुमार	रा0प्रा0वि0 टीला, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 झटकण्डी, कल्जीखाल	VI
15	सोबन सिंह	रा0प्रा0वि0 नानसू, बीरौंखाल	रा0प्रा0वि0 भैस्वाडा, बीरौंखाल	VI
16	अवतार सिंह	रा0प्रा0वि0 कोलिण्डा, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 पैलार, थलीसैंण	VI
17	भूपेन्द्र सिंह नेगी	रा0प्रा0वि0 बनाणी, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 घुडेत, कोट	VI
18	शिवदर्शन सिंह	रा0प्रा0वि0 डांडाग्वीन, बीरौंखाल	रा0प्रा0वि0 सल्डमहोदव, नैनीडांडा	VI
19	तूहीना थपलियाल	रा0प्रा0वि0 भतवाँ, बीरौंखाल	रा0प्रा0वि0 रैसोली, एकेश्वर	VI
20	सुनील दत्त	रा0प्रा0वि0 बैडाहाट, नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 भैडगांव, एकेश्वर	VI
21	आभा रोमवाल	रा0प्रा0वि0 सोटी, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 केवर्स, कल्जीखाल	VI
22	नीरज डोभाल	रा0प्रा0वि0 मिजगांव, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 पाबो, वि0ख0-पाबो	VI
23	अतुल कुमार	रा0प्रा0वि0 पोखरी, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 कौला, कल्जीखाल	VI
24	आरती बहुगुणा	रा0प्रा0वि0 असगढ़, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 सेंज, कोट	VI
25	पंकज सन्दरियाल	रा0प्रा0वि0 चुटाणी, खिरसू	रा0प्रा0वि0 अंसारी थापला, एकेश्वर	VI
26	नीलम नौटियाल	रा0प्रा0वि0 झडपाली, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 कोलरी, कल्जीखाल	VI
27	जयमाला	रा0प्रा0वि0 कुचौली, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 सिमलसैंण, रिखणीखाल	VI
28	दीपेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 उनेरी, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 क्वीरालीधूरा, रिखणीखाल	VI
29	मीनाक्षी उनियाल	रा0प्रा0वि0 बयेडा, बीरौंखाल	रा0प्रा0वि0 रतकोटी, पाबो	VI
30	राजेश मोहन	रा0प्रा0वि0 बाडा, बीरौंखाल	रा0प्रा0वि0 सलाना, पाबो	VI
31	सुरेशचन्द्र	रा0प्रा0वि0 डाबरी, थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 भरतपुर, थलीसैंण	VI
32	ज्योति गौनियाल	रा0प्रा0वि0 संगलिया, नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 नौणियाखेत, नैनीडांडा	VI

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।





4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०शि०/०४ वे०स्थाप०/ 2649-61 /स्था-ना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
 आदेश संख्या/04वे०स्थाप०/ 119 /स्थाना०/2023-24 दिनांक 09 जून 2023  
 अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(1) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय/विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	अनीता जोशी	रा०प्रा०वि० रींकू, पावी	रा०प्रा०वि० चौखार, पावी	VII
2	रीना जोशी	रा०प्रा०वि० डोर बरसूडी,	रा०प्रा०वि० जिठखोली, पावी	VII
3	यशोदा रावत	रा०प्रा०वि० कडोला, थलीसैण	रा०प्रा०वि० ग्वालखुडा, पावी	VII
4	विकाश चन्द्र	रा०प्रा०वि० ऐंगार, थलीसैण	रा०प्रा०वि० पर्वोली, एकेश्वर	VII

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
 उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
 पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/04 वे०स्थाप०/ 2662-74 /स्थाना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
 पौड़ी गढ़वाल।

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
१	२	३	४
१	पुष्पा भण्डारी	रा०प्रा०वि० पटना, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० हीराखाल, यमकेश्वर
२	विनीता जखमोला	रा०प्रा०वि० भानकोट, दुगड़डा	रा०प्रा०वि० लखवाड, दुगड़डा
३	अनीता चौहान	रा०प्रा०वि० सारी, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० भेल्डा, दुगड़डा
४	रीना चौहान	रा०प्रा०वि० देवडाली, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० गूमखाल, द्वारीखाल
५	राकेशचन्द्र रतूडी	रा०प्रा०वि० मुसोली, खिर्सू	रा०प्रा०वि० शरणा, खिर्सू
६	अल्का रावत	रा०प्रा०वि० नैग्याणा, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० फतेहपुर, दुगड़डा
७	युक्ति ध्यानी	रा०प्रा०वि० अन्दरगांव, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० गडसिर, दुगड़डा
८	इन्दू पुरोहित	रा०प्रा०वि० कोठी, खिर्सू	रा०प्रा०वि० मरखाडा, खिर्सू
९	रोशन प्रसाद	रा०प्रा०वि० नौठा, पाबों	रा०प्रा०वि० बोंसरी, पौड़ी
१०	शमशादअली	रा०प्रा०वि० टीला, थलीसैण	रा०प्रा०वि० जामल, यमकेश्वर
११	सोना अनामिका रावत	रा०प्रा०वि० खुडीला, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० पटूडअकरा, दुगड़डा
१२	उपासना नेगी	रा०प्रा०वि० बमोली, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० पुलिण्डा, दुगड़डा
१३	दीपमाला राणा	रा०प्रा०वि० नन्दाखाल, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० देहलचौरी, काट
१४	शान्ति घिल्डियाल	रा०प्रा०वि० जवाडी, पाबों	रा०प्रा०वि० गणेशपुर, यमकेश्वर
१५	सरोज मेवाड	रा०प्रा०वि० सिंगोरी, खिर्सू	रा०प्रा०वि० बुघाणी, खिर्सू
१६	सतीश कुमार	रा०प्रा०वि० पाटा, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० देवीखेत, द्वारीखाल
१७	सन्तोष कुमार	रा०प्रा०वि० रवीन बडा, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० झटरी, दुगड़डा
१८	अजय कुमार वर्मा	रा०प्रा०वि० सिन्धी, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० वांसिज्ञाना, द्वारीखाल
१९	शिवेन्द्र कुमार	रा०प्रा०वि० भादसी, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० उमडा, यमकेश्वर
२०	दिनेश नैथानी	रा०प्रा०वि० डांगी, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० कांसखेत, कल्जीखाल
२१	सन्तोष कुमार नैथानी	रा०प्रा०वि० पडसोली, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० उमरोली, यमकेश्वर
२२	राकेश रावत	रा०प्रा०वि० गुटिण्डा, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० बैगवाडी, पौड़ी
२३	दर्शन सिंह	रा०प्रा०वि० अगरोडा, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० कलडुंग, पौड़ी
२४	देवेश्वरी ध्यानी	रा०प्रा०वि० झर्त, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० देवलखाल, दुगड़डा
२५	शोभन सिंह	रा०प्रा०वि० ओडल, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० उर्तिच्छा, दुगड़डा
२६	दिनेशचन्द्र बडथवाल	रा०प्रा०वि० कन्दलाई, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० सुनारगांव, दुगड़डा
२७	कृष्ण कुमार नेगी	रा०प्रा०वि० धूरा, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० जखमलखाल, दुगड़डा
२८	सुरेन्द्र सिंह रावत	रा०प्रा०वि० दिगोली, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० मटियाली, दुगड़डा
२९	विनोद प्रकाश	रा०प्रा०वि० घोडपाला मल्ला, बीरौखाल	रा०प्रा०वि० दमराडा, यमकेश्वर
३०	प्रदीप सिंह राणा	रा०प्रा०वि० रावतगांव, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० पोखरी, यमकेश्वर
३१	मनोज कुमार घिल्डियाल	रा०प्रा०वि० कलीगाड, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० गाडियूं, रिखणीखाल
३२	चन्द्रप्रभा थपलियाल	रा०प्रा०वि० वौन्दर, पोखडा	रा०प्रा०वि० सासौं, एकेश्वर
३३	पुष्पा रावत	रा०प्रा०वि० बग्ग्याली, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० नौगांव कमान्दा, एकेश्वर
३४	दीपक कुमार	रा०प्रा०वि० हंस्यूडी, थलीसैण	रा०प्रा०वि० बाघाट, द्वारीखाल
३५	सुनील कुमार	रा०प्रा०वि० नौगांव, खिर्सू	रा०प्रा०वि० नौगांवपाली, काट
३६	अनीता गौनियाल	रा०प्रा०वि० वाडागाड, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० बण्टोली, एकेश्वर
३७	सुपमा कण्डवाल	रा०प्रा०वि० जोगिडा, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० रैतपुर, जयहरीखाल

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*


38	सीता शर्मा	रा0प्रा0वि0 कफलटण्डा, नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 नैलगुजराडा, यमकेश्वर
39	ममता रानी शर्मा	रा0प्रा0वि0 उतिण्डागांव, नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 वैद्या, यमकेश्वर
40	लक्ष्मी उनियाल	रा0प्रा0वि0 गडाली, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 बांसी, जयहरीखाल
41	महेंद्र कुमार लखेडा	रा0प्रा0वि0 ईडा नौगांव, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 खच्चरवाडी, जयहरीखाल
42	विपिन कुमार ध्यानी	रा0प्रा0वि0 चौण्डे, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 बस्यूर, एकेश्वर
43	दीपदर्शन मैनदोला	रा0प्रा0वि0 क्वीराली तोल्यु, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 पुण्डोरी, एकेश्वर
44	अभिषेक देवरानी	रा0प्रा0वि0 बसोला, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 बडेथ, एकेश्वर
45	दीवाकर बडध्याल	रा0प्रा0वि0 कुणज, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 राजबाट, द्वारीखाल
46	प्रेम सिंह रावत	रा0प्रा0वि0 पोखर, नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 गजेरा, एकेश्वर
47	शाना विष्ट	रा0प्रा0वि0 थल्दा, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 दिउसा, द्वारीखाल
48	मजीत सिंह रावत	रा0प्रा0वि0 कोल्हूचोड, दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 पंचुर, एकेश्वर
49	प्रवीन कुमार घिल्लियाल	रा0प्रा0वि0 जाखणी, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 लंगूरी, द्वारीखाल
50	आशीष नेगी	रा0प्रा0वि0 जमेली, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 नंदाखाल, एकेश्वर
51	देवेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 खौल, नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 खैरासैण, जयहरीखाल
52	भूपेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 कपरोली, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 चामी, कल्जीखाल
53	विनाद कुमार	रा0प्रा0वि0 डडोली बसाणी, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 बिलखेत-2, कल्जीखाल
54	हेमलता रावत	रा0प्रा0वि0 चमोलीगांव, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 कल्जीखाल
55	सविता रावत	रा0प्रा0वि0 महरगांव, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 चोपडा, कल्जीखाल
56	दीपचन्द्र	रा0प्रा0वि0 ग्वाल्भी, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 कुडीगांव, कल्जीखाल
57	महेंद्र सिंह	रा0प्रा0वि0 चोपताखाल, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 देवल, कोट
58	सुभाष कुमार घिल्लियाल	रा0प्रा0वि0 टीला, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 सैनार, कल्जीखाल
59	सन्तोष कुमार	रा0प्रा0वि0 दिउसा, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 नैथाना, कल्जीखाल
60	सुनील सिंह पंवार	रा0प्रा0वि0 खोलकण्डे, दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 तोली, कल्जीखाल
61	अनूप सिंह रावत	रा0प्रा0वि0 डुमणीकोट, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 नौली, कल्जीखाल
62	सुरजीत सिंह रावत	रा0प्रा0वि0 बडकोट, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 पयासू, कल्जीखाल
63	संजय कुमार गुसाई	रा0प्रा0वि0 चौफण्डाखाल, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 बूंगा-2 कल्जीखाल
64	ममता रावत	रा0प्रा0वि0 निसणी, पाबौ	रा0प्रा0वि0 सरासू, कल्जीखाल
65	अरुण कुमार शर्मा	रा0प्रा0वि0 गुजियामहादेव, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 मरगांव, कल्जीखाल
66	हरेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 महादेवसैण, पोखडा	रा0प्रा0वि0 श्रीकोटखण्डाह, खिरसू
67	बलदेव सिंह	रा0प्रा0वि0 देवलसैण, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 पैडूल, पौडी
68	सोबन सिंह	रा0प्रा0वि0 नानस्युं, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 नवन, कोट
69	मुकेश सिंह	रा0प्रा0वि0 डुगरी, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 वड्डा, कोट
70	प्रमोद कुमार	रा0प्रा0वि0 उतिण्डा, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 दुंगली, कोट
71	महेश्वर प्रसाद	रा0प्रा0वि0 सैजी, पाबौ	रा0प्रा0वि0 नौगांवखाल, एकेश्वर
72	शलेन्द्र कुमार	रा0प्रा0वि0 रतकोट, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 पैंछारी, एकेश्वर
73	विनाद कुमार	रा0प्रा0वि0 सासौं, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 कटूड, कोट
74	यशपाल सिंह पाल	रा0प्रा0वि0 ककडधार, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 घिलगढ, कोट
75	महिपाल सिंह	रा0प्रा0वि0 कोटनाली, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 सिनाला, रिखणीखाल
76	जसपाल सिंह	रा0प्रा0वि0 मलाणा, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 जलेथा, जयहरीखाल
77	हरेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 सांकर सैण, पाबौ	रा0प्रा0वि0 सोड, कोट
78	अवतार सिंह	रा0प्रा0वि0 कोलिण्डा, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 सबधरखाल, कोट
79	प्रभात कुमार नौटियाल	रा0प्रा0वि0 किमगडी, पोखडा	रा0प्रा0वि0 रेवडी, पौडी
80	भूपेन्द्र सिंह नेगी	रा0प्रा0वि0 बनाणी, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 क्याक, पौडी
81	योगेश कुमार	रा0प्रा0वि0 डवीला तल्ला, पोखडा	रा0प्रा0वि0 विडोली, पाबौ
82	शिव कुमार	रा0प्रा0वि0 माल्ड, पोखडा	रा0प्रा0वि0 बनेख, पाबौ
83	उपेन्द्र सिंह रावत	रा0प्रा0वि0 घूरी, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 बीरखाल, कोट
84	तारेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 मधिगांव, खिरसू	रा0प्रा0वि0 कोटली, पाबौ
85	अरविन्द कुमार	रा0प्रा0वि0 गुडेडी, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 सिलोगी, द्वारीखाल
86	शान्ति प्रसाद थपलियाल	रा0प्रा0वि0 जजेडी, पोखडा	रा0प्रा0वि0 कोटा, पाबौ
87	हेमलता	रा0प्रा0वि0 मासौं, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 सिमखेत, पाबौ
88	पूरनदेई	रा0प्रा0वि0 पाली चोपडा, पाबौ	रा0प्रा0वि0 काण्डई त0, पौडी
89	चन्द्रपाल सिंह	रा0प्रा0वि0 कनरा, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 कडेखाल, पौडी
90	प्रमोद कुमार घनसेला	रा0प्रा0वि0 ग्वील, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 मुडियाणा, रिखणीखाल
91	रणजीत सिंह	रा0प्रा0वि0 उत्तमखेत, पोखडा	रा0प्रा0वि0 राधाबल्लभ पुरम, पौडी
92	हरेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 मालकोट, पोखडा	रा0प्रा0वि0 श्रीकोट, पौडी
93	सन्दीप कुमार	रा0प्रा0वि0 मदनपुर, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 ढाण्डारी, पौडी
94	कसूमलता काला	रा0प्रा0वि0 भट्टीसेरा, खिरसू	रा0प्रा0वि0 जखेड, पौडी

95	बीना शर्मा	रा0प्रा0वि0 मैडणापाट, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 चांदखेत, पौड़ी
96	इन्दिरा बुडाकोटी	रा0प्रा0वि0 पटोठिया, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 डाबरी, रिखणीखाल
97	विपिन जखमोला	रा0प्रा0वि0 लैमल, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 पणिया, पौड़ी
98	अरुण कुमार ढौडियाल	रा0प्रा0वि0 भवाई, पावौ	रा0प्रा0वि0 कण्डारा, पौड़ी
99	शान्ति प्रकाश	रा0प्रा0वि0 कोलरी, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 गजेन्द्रपुर, पौड़ी
100	सुरेष्वा भट्ट	रा0प्रा0वि0 सांगुडा, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 मारौ, पौड़ी
101	उदय सिंह	रा0प्रा0वि0 विमवाडी, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 डोवल्या, पौड़ी
102	सुमन कुकरेली	रा0प्रा0वि0 उडियारी, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 चरघार, पौड़ी
103	प्रवीन कुमार	रा0प्रा0वि0 गवारा, दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 बमठी, पौड़ी
104	गौ0 अश्लम	रा0प्रा0वि0 पलांरा, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 छतकोट, पौड़ी
105	रवीन्द्र कुमार	रा0प्रा0वि0 टीर, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 ओणी, पौड़ी
106	मीना	रा0प्रा0वि0 चुरानी, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 ननकोट, पौड़ी
107	रोशनी नेगी	रा0प्रा0वि0 नौगंव, दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 धनाउ, पौड़ी
108	आभा ध्यानी	रा0प्रा0वि0 धौडाखाल, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 गगवाडा, पौड़ी
109	सुरजीत सिंह बिष्ट	रा0प्रा0वि0 कतूड डब0, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 सोडियाखाल, पोखडा
110	ललित मोहन सिंह	रा0प्रा0वि0 डल्ला, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 मैन्दणी, रिखणीखाल
111	विवेक नैथानी	रा0प्रा0वि0 उनेरी, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 रिखणीखाल
112	अब्दुल वाजिद	रा0प्रा0वि0 चरतल्ला, दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 कतूड, रिखणीखाल
113	अनुज कुमार	रा0प्रा0वि0 भयांसू, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 कलवाडी, रिखणीखाल
114	लक्ष्मण सिंह	रा0प्रा0वि0 हलाड, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 मथाणा, दुगड्डा
115	हरीश कुमार	रा0प्रा0वि0 डवीला तल्ला, पोखडा	रा0प्रा0वि0 शिमलगांव, रिखणीखाल
116	योगेश ध्यानी	रा0प्रा0वि0 कमडई, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 बसडा, रिखणीखाल
117	जयानन्द नौडियाल	रा0प्रा0वि0 सूला, कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 रछूली, पौड़ी
118	राखी खुगशाल	रा0प्रा0वि0 डाबरी, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 शिमलसैण, रिखणीखाल
119	राजेश कुमार	रा0प्रा0वि0 बैजरो, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 भटकोट, थलीसैण
120	शिव दर्शन सिंह	रा0प्रा0वि0 वापता, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 ग्वींठगांव, थलीसैण
121	सतपाल सिंह	रा0प्रा0वि0 बैजरो, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 देवलाड, नैनीडांडा
122	अशोक सिंह बिष्ट	रा0प्रा0वि0 घोडपाला तल्ला, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 डुंगरी, नैनीडांडा

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढवाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 2675-87 /स्थाना0/2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी गढवाल।
- 4- जिलाधिकारी गढवाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।

- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/

131

/स्थाना0/2023-24 दिनांक 09 जून 2023

**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रा0वि0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	ममता नेगी	रा0प्रा0वि0 रामपुर, कोट	रा0प्रा0वि0 सिरासू, यमकेश्वर
2	चन्द्रकिशोरी	रा0प्रा0वि0 चराकोट, कोट	रा0प्रा0वि0 घनसाली, द्वारीखाल
3	कल्पना तिवाड़ी	रा0प्रा0वि0 सुखरौं, दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 भटवाड़ा, वीरौंखाल
4	शोभा सनवाल	रा0प्रा0वि0 दियोड, रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 केष्टा, दुगड्डा
5	मंजू नेगी	रा0प्रा0वि0 सिगड्डा, दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 डुलमोट, वीरौंखाल
6	कृष्णा नेगी	रा0प्रा0वि0 बांसी, जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 वड्डा, जयहरीखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढ़वाल।

प्रा0सं0/04 बे0स्थाप0/ 2433-45

/स्थाना0/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढ़वाल।



कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 132 /स्थाना०/2023-24 दिनांक 09 जून 2023

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13 (4) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रा०शि० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	गुलशन कुमार	रा०प्रा०वि० न्याणगढ़, खिर्सू	रा०प्रा०वि० खुण्डोली, जयहरीखाल	I
2	लक्ष्मीचन्द	रा०प्रा०वि० मुछियाली, कोट	रा०प्रा०वि० जलेथा, खिर्सू	I
3	जय कुमार बहुगुणा	रा०प्रा०वि० थापला, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० विलखेत-2, कल्जीखाल	I

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2446-58 /स्थाना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 133 /स्थाना0/2023-24 दिनांक 09 जून 2023  
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(5) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	भरतलाल	रा0प्रा0वि0 मालदबड़ा, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 सकन्याणी, दुगड़डा	II

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 2459-71 /स्थाना0/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 134 /स्थाना०/2023-24 दिनांक 09 जून 2023  
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(3) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	सीमा ध्यानी	रा०प्रा०वि० खुटीडा, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० कस्ताना, नैनीडांडा	IV
2	राजकुमारी रावत	रा०प्रा०वि० पोखरीगांव, पाबौ	रा०प्रा०वि० सीकू, पाबौ	IV
3	दीपचन्द्र	रा०प्रा०वि० नालतिमलखोली, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० नाली, दुगडडा	IV
4	महिपालचन्द्र	रा०प्रा०वि० ठंगा, बीरौखाल	रा०प्रा०वि० मसगखोली, बीरौखाल	IV
5	सराजुददीन	रा०प्रा०वि० दलमोटा, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० मोहरा, दुगडडा	IV

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2472-84 /स्थाना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/०४वे०स्थाप०/

135

/स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक ०९ जून २०२३

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-१३(६) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
१	२	३	४	५
१	जगदीश सिंह	रा०प्रा०वि० उफरैखाल, वीरैखाल	रा०प्रा०वि० हण्डूल, जयहरीखाल	V

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

१. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
४. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ वे०स्थाप०/ 2485-97 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- ३- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- ४- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- ५- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- ६- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- ७- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- ८- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- ९- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- १०- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- ११- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- १२- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- १३- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 136 /स्थाना0/2023-24 दिनांक 09 जून 2023  
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुरांगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(2) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मी रावत	रा0प्रा0वि0 बहेली, पाबौ	रा0प्रा0वि0 चुव्याणी, यमकेश्वर	VI
2	गणेश जोशी	रा0प्रा0वि0 गंगाउ, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 भरदोली, रिखणीखाल	VI
3	मनमोहन सिंह गुसाईं	रा0प्रा0वि0 ढौंड, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 ककरोडा, बीरौखाल	VI
4	यतेन्द्र कुमार	रा0प्रा0वि0 निसणी, पाबौ	रा0प्रा0वि0 ताली, पोखड़ा	VI
5	भूपेन्द्र नेगी	रा0प्रा0वि0 केशरपुर, पाबौ	रा0प्रा0वि0 सिंवालधार, पाबौ	VI
6	मुक्ता डंगवाल	रा0प्रा0वि0 कमलिया वल्ला, बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 महादेवसैण, कल्जीखाल	VI
7	मदनमोहन	रा0प्रा0वि0 मैखोली, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 कलीगाड, रिखणीखाल	VI
8	उत्तम सिंह भण्डारी	रा0प्रा0वि0 गुलियारी, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 चौरा, थलीसैण	VI
9	उमेश सिंह	रा0प्रा0वि0 घंडियाली, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 स्योली, थलीसैण	VI
10	सुषमा धिल्डियाल	रा0प्रा0वि0 ईडा मल्ला, थलीसैण	रा0प्रा0वि0 बनास, थलीसैण	VI

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।


(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 2498-2510 /स्थाना0/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

- 2-
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
  - 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
  - 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
  - 13- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/०४वे०स्थाप०/ 137 /स्थाना०/2023-24 दिनांक 09 जून 2023  
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(1) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	प्रेम सिंह गुसाई	रा०प्रा०वि० बनेख, पावो	रा०प्रा०वि० किमवाडी, थलीसैण	VII

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ वे०स्थाप०/ 2511-23 /स्थाना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्र०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 138 /स्थाना०/2023-24 दिनांक 09 जून 2023  
अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।


प्र०अ०, रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	अन्जु कुकरेती, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० धौडाखाल, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० वांसी, जयहरीखाल
2	सीमा ध्यानी, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० खुटीडा, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० पतंगांव, नैनीडांडा
3	अमिता जदली प्र०अ०	रा०प्रा०वि० सीला, दुगड़डा	रा०प्रा०वि० क्यार्द, एकेश्वर
4	मृणालनी चमोली, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० डांग, बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० कांडा, कल्जीखाल
5	सरला रौतेला, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० पबेख, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० सिगडुडी, दुगड़डा
6	सुनीता कवटियाल, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० चैतधार, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० पुरसोली, एकेश्वर
7	सुनीता विष्ट, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० सीला, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० रिगवाडगांव, कल्जीखाल
8	बृजमोहन सिंह, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० आसौं प्रथम, नैनीडांडा	रा०प्रा०वि० मंज्याणीसैंण, रिखणीखाल
9	प्रेमलता नौडियाल, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० नन्दाखाल, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० बेडपानी, कल्जीखाल
10	सुमित्रा चौहान, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० दुंगी, कोट	रा०प्रा०वि० सुरालगांव, कल्जीखाल
11	सरोज रौतेला, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० डलगाडी, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० रामपुर, कोट
12	लक्ष्मी पसबोला, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० बहेडाखाल, कोट	रा०प्रा०वि० चराकोट, कोट
13	राजेश्वरी नेगी, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० ग्वाडीगाड, पावौ	रा०प्रा०वि० दिगोली, कोट
14	रजनी गौड़, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० उच्चाकोट, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० दियोड, रिखणीखाल
15	आशा रावत, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० बड़कोट, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० मुडियाप, एकेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।



(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्र०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/

/स्थाना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।



- 2 -
- 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौड़ी।
  - 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
  - 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
  - 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
  - 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
  - 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
  - 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
  - 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढवाल।